न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 206/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/408

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
सचिव श्री रावल मल्लीनाथ श्री,राणी,रूपादे,संस्थान मालाजाल– तिलवाड़ा तहसील पचपदरा	.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा	

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार (N.T) उपस्थित।

आदेश

दिनांक 22.12.2025

1.संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा भूमि मंदिर श्री रूपादेव जी के नाम सवंत 2016–2020 तक की जमाबंदी में दर्ज थी। आगामी चौसाला जमाबंदी सवंत 2020–2023 में पूर्व की स्थिति दोहराने के बजाय राजस्व अधिकारी द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जमाबंदी सवंत 2020–2023 के खाता संख्या 01 में केवल मंदिर के नाम से अशुद्ध प्रविष्टि इन्द्राज की गई,जो कि गलत प्रविष्टि किए जाने के कारण प्रार्थी पक्ष को रेकर्ड दुरूस्ती के लिए आना पड़ा है। अतः प्रार्थी पक्ष का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै.मु.मन्दिर खाता संख्या 01 अशुद्ध प्रविष्टि के स्थान पर प्रथम जमाबंदी संवत 2016–2019 के अनुरूप खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै.मु. खातेदार मन्दिर श्री रूपादेव जी के नाम प्रविष्टि दुरूस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

2.प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायाब तहसीलदार उपस्थित हुए। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया,जो शामिल पत्रावली है।

3.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा भूमि अवस्थित है,जो वक्त सेटलमेंट पूर्व से ही मंदिर श्री रूपादेव जी के नाम की है। वक्त सेटलमेंट में उक्त भूमि मंदिर श्री रूपादेव जी के नाम दर्ज हुए थी, जिसका रेकर्ड में इन्द्राज हो गया था,जो सवंत 2016–2019 तक सही इन्द्राज हुआ था। तत्पश्चात् आगामी चौसाला जमाबंदी सवंत् 2020–2023 के रेकर्ड में पूर्व की स्थिति को दोहराने के बजाय अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर जमाबंदी में मंदिर श्री रूपादेव जी के स्थान पर अशुद्ध इन्द्राज केवल मंदिर खाता नम्बर 01 में दर्ज की गई,जबकि ऐसा किये जाने का राजस्व अधिकारीयो को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था,लेकिन रेकर्ड में अशुद्ध प्रविष्टि इन्द्राज कर दी गई। प्रार्थी पक्ष को इसकी जानकारी हाल में ही रेकर्ड अवलोकन से पता चला कि विवादित भूमि में मंदिर श्री रूपादेव जी के नाम अशुद्ध प्रविष्टि इन्द्राज हो रखी है,जिसका पता चलने पर विप्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश कर शुद्धि पत्र भरने का निवेदन किया गया,जो विप्रार्थी पक्ष ने रेकर्ड में की गई लिपीकीय गलती होना स्वीकार कर प्रकरण तैयार कर शुद्धि करवाने हेतु श्री न्यायालय को प्रेषित किया गया। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो एवं जांच रिपोर्ट से भी साबित किया है,कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा में विदयमान् अशुद्ध प्रविष्टि खाता संख्या 01 मंदिर के स्थान् पर मंदिर श्री रूपादेव जी के नाम की शुद्ध प्रविष्टि इन्द्राज करवाने का आदेश किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

4. विप्रार्थी पक्ष की ओर से बहस में निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में विप्रार्थी की ओर से पेश जवाब अनुरूप प्रार्थी का आवेदन–पत्र निरस्तारण किए जावे।

5.हमनें उभय–पक्ष अधिवक्ता व विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायाब तहसीलदार की बहस सुनी गई। बहस पर मनन् किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं जांच रिपोर्ट का गम्भीरता पूर्वक अवोकन् किया। जिसमें पाया कि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै.मु. खाता संख्या 165 में खातेदार मन्दिर श्री रूपादेव जी के नाम दर्ज थी,जो कि प्रथम जमाबंदी सवंत 2016–2019 अवलोकन से स्पष्ट है। तत्पश्चात् आगामी चौसाला जमाबंदी सवंत 2020–2023 में पूर्व की स्थिति को रेकर्ड में दोहराने के बजाय खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै. मु. मंन्दिर राजकीय खाताा संख्या 01 में दर्ज की गई,जो कि आंदिनाक रेकर्ड में प्रविष्टि चली आ रही है,जो पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड अवलोकन से स्पष्ट सावित है कि खसरा 324 में जमाबंदी सवंत 2020–2023 में अशुद्ध प्रविष्टि इन्द्राज की गई थी,क्योंकि राजस्व अधिकारी को प्रथम जमाबंदी सवंत 2016–2019 की ही प्रविष्टि को संवत 2020–2023 में संधारण चौसाला जमाबंदी में दोहराया जाना था,लेकिन तत्कालीन राजस्व अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै.मु. खाता संख्या 165 में खातेदारान् मन्दिर,राजकीय खाता संख्या 01 दर्ज की गई। जो कि प्रविष्ट अशुद्ध होने के कारण यथावत रखे जाने के काबिल नहीं है। इसकी ताईद विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने अपने जवाब में स्वीकार किया है,कि प्रथम जमाबंदी सवंत 2016–2019 में खसरा संख्या 324 रकबा 21.13 बीघा किस्म गै.मु. खाता संख्या 165 में खातेदार मंदिर श्री रूपादेवी जी के नाम दर्ज थी तथा सवंत 2016–2019 में समस्त सरकार खाते के अलग–अलग खाता संख्या दर्ज थे। आगामी चौसाला जमाबंदी सवंत 2020–2023 में खसरा संख्या 324 किस्म गै.मु. मंदिर,राजकीय खाताा संख्या 01 दर्ज की गई,जो कि अशुद्ध प्रविष्टि इन्द्राज की गई थी। इस प्रकार समग्र विवेचन के उपरांत यह पूरी तरह स्पष्ट है कि चौसाला जमाबंदी सवंत 2020–2023 सधारंण के दौराने मंदिर श्री रूपादेव जी के नाम

उपखण्ड अधिकारी
( ), बालोतरा

की प्रविष्टि इन्द्राज के स्थान् पर विदयमान् अशुद्व प्रविष्टि इन्द्राज की गई थी,जो कि एक लिपिकीय भूलवंश इन्द्राज होना पाया जाता है,जो कि प्रथम जमाबंदी सवंत 2016–2019 अनुरूप रेकर्ड दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि हस्तगत प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खाता संख्या 01 खसरा संख्या 324 क्षेत्रफल 3.5046 किस्म गै.मु.मंन्दिर अशुद्व प्रविष्टि के स्थान पर प्रथम जमाबंदी सवंत 2016–2019 के अनुरूप खसरा संख्या 324 क्षेत्रफल 3.5046 हैक्टेयर किस्म गै.मु. मंन्दिर श्री रूपादेव जी के नाम दुरूस्ती किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

22/12/2025
(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.12.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

22/12/2025
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा